"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 80] रायपुर, शनिवार, दिनांक 18 मार्च 2017— फाल्गुन 27, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ–68–42/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2015/2056 रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2017

1. अचंभित गुप्ता, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत, भटगांव, जिला सूरजपुर,छ.ग.
2. नन्दनकुमार झा, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत, भटगांव, जिला सूरजपुर, छ.ग.
3. जयराम राजवाड़े,अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत, भटगांव, जिला सूरजपुर, छ.ग.
4. उपेन्द्र महतो, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत, भटगांव, जिला सूरजपुर, छ.ग.
5. परमेश्वरी राजवाड़े, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत, भटगांव, जिला सूरजपुर, छ.ग.
6. महेश यादव, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत, भटगांव, जिला सूरजपुर, छ.ग.
7. सुखदेव राजवाड़े, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत, भटगांव, जिला सूरजपुर, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32–ग सहपठित धारा 32–ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 4 फरवरी 2017.

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सूरजपुर के प्रतिवेदन दिनांक 24 फरवरी 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32–ग सहपठित धारा 32–ख के तहत प्रारंभ किया गया है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत भटगांव जिला सूरजपुर के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2014 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 7 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था। निर्वाचन परिणाम 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सूरजपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 24–2–2015 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत भटगांव के आम निर्वाचन 2014 में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों अचंभित गुप्ता, नन्दनकुमार झा, जयराम राजवाड़े, उपेन्द्र महतो, परमेश्वरी राजवाड़े, महेश यादव एवं सुखदेव राजवाड़े द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 4 जनवरी 2015 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है।

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सूरजपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थीगण अचंभित गुप्ता, नन्दनकुमार झा, जयराम राजवाड़े, उपेन्द्र महतो, परमेश्वरी राजवाड़े, महेश यादव एवं सुखदेव राजवाड़े को दिनांक 5–5–2015 को अधिनियम की धारा 32–ग सहपठित धारा 32–क एवं 32–ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त

निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरूध्द अधिनियम की धारा 32–ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए। उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थीगण अचंभित गुप्ता, नन्दनकुमार झा, जयराम राजवाड़े, उपेन्द्र महतो, परमेश्वरी राजवाड़े, महेश यादव एवं सुखदेव राजवाड़े को दिनांक 17–7–2015 को तामील की गई। अभ्यर्थीगण नन्दनकुमार झा, जयराम राजवाड़े, उपेन्द्र महतो, परमेश्वरी राजवाड़े, महेश यादव एवं सुखदेव राजवाड़े ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब प्रस्तुत

किया। अभ्यर्थी अचंभित गुप्ता द्वारा कारण बताओ सूचना प्राप्ति के उपरान्त आज पर्यन्त अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतः उनके विरूध्द दिनांक 3–12–2016 को एकपक्षीय कार्रवाई की गई।

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सूरजपुर के पत्र क्रमांक 728/स्था.निर्वा./सहा. अधी./2015, दिनांक 24.3.2015 द्वारा पुनः संशोधित जानकारी के साथ परिशिष्ट–36 में जानकारी प्रस्तुत की गई। जिसमें उल्लेखित किया गया कि अचंभित गुप्ता द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 13–2–2015 को, नन्दनकुमार झा, जयराम राजवाड़े, उपेन्द्र महतो द्वारा दिनांक 2–2–2015 को तथा परमेश्वरी राजवाड़े, महेश यादव एवं सुखदेव राजवाड़े द्वारा दिनांक 3–2–2015 को दाखिल किया गया है। इस संबंध में आयोग के पत्र क्रमांक एफ–68–42/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2015, दिनांक 17–3–2016 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सूरजपुर से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गई। जिसके सन्दर्भ में 477/स्था.निर्वा./सहा.अधी./2015, दिनांक 22–6–2016 द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई कि नगरपंचायत प्रकरण क्रमांक एफ–68–42/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2015 भटगांव के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन लड़ने वाले 7 अभ्यर्थियों में से अचंभित गुप्ता को छोड़कर शेष सभी 6 अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तारीख 3–2–2015 तक निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य नगरपालिका कार्यालय भटगांव के माध्यम से उनके कार्यालय को व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है।

5. अभ्यर्थी नन्दनकुमार झा द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2015 को आयोग में जवाब प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा दिनांक 2–2–2015 को कार्यालय नगर पंचायत भटगांव में निर्वाचन व्यय लेखा जमा किया गया था।

6. अभ्यर्थी महेश यादव द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2015 को आयोग में जवाब प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा दिनांक 16–1–2015 को कार्यालय नगर पंचायत भटगांव में निर्वाचन व्यय लेखा जमा किया गया था।

7. अभ्यर्थी उपेन्द्र महतो द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2015 को आयोग में जवाब प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा कार्यालय नगर पंचायत भटगांव में निर्वाचन व्यय लेखा जमा किया गया था।

8. अभ्यर्थी परमेश्वरी द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2015 को आयोग में जवाब प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा कार्यालय नगर पंचायत भटगांव में निर्वाचन व्यय लेखा जमा किया गया था।

9. अभ्यर्थी जयराम राजवाड़े द्वारा दिनांक 4–8–2015 को आयोग में जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा दिनांक 2–2–2015 को कार्यालय नगर पंचायत भटगांव में निर्वाचन व्यय लेखा जमा किया गया था।

10. अभ्यर्थी सुखदेव राजवाड़े द्वारा दिनांक 31–7–2015 को आयोग में जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा दिनांक 30–1–2015 को कार्यालय नगर पंचायत भटगांव में निर्वाचन व्यय लेखा जमा किया गया था।

11. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सूरजपुर का अभिमत प्राप्त किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सूरजपुर ने पत्र क्रमांक 395/स्था.निर्वा./सहा.अधी./2015, दिनांक 1–3–2016 में अभिमत दिया कि नगरपंचायत भटगांव के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन लड़ने वाले 7 अभ्यर्थियों में से अचंभित गुप्ता को छोड़कर शेष सभी 6 अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तारीख 3–2–2015 तक निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य नगरपालिका कार्यालय भटगांव के माध्यम से उनके कार्यालय को व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है।

12. अभ्यर्थीगण नन्दनकुमार झा, जयराम राजवाड़े, उपेन्द्र महतो, परमेश्वरी राजवाड़े, महेश यादव एवं सुखदेव राजवाड़े को उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में सुनवाई हेतु दिनांक 4–1–2017 को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया। सुनवाई हेतु निर्धारित दिनांक को अभ्यर्थीगण जयराम राजवाड़े, परमेश्वरी राजवाड़े, महेश यादव एवं सुखदेव राजवाड़े उपस्थित हुए। उनका शपथपूर्वक कथन लिपिबध्द किया गया। अभ्यर्थियों द्वारा नगरपंचायत भटगांव में प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में पावती की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

13. अभ्यर्थी नन्दनकुमार झा एवं उपेन्द्र महतो उपस्थित नहीं हुए। उन्हें समय देते हुए उनकी दिनांक 28–1–2017 प्रतीक्षा की गई। दिनांक 28–1–2017 को अभ्यर्थी उपेन्द्र महतो उपस्थित हुए उनका शपथपूर्वक कथन लिपिबध्द किया गया।

14. अभ्यर्थी नन्दनकुमार झा 28–1–2017 को भी उपस्थित नहीं हुए अतः यह मानते हुए कि अभ्यर्थी को अपने जवाब के संबंध में और कुछ नहीं कहना है उनके विरूध्द एक पक्षीय कार्रवाई की गई।

15. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सूरजपुर ने प्रतिवेदन दिनांक 24–2–2015 में प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थीगण अचंभित गुप्ता, नन्दनकुमार झा, जयराम राजवाड़े, उपेन्द्र महतो, परमेश्वरी राजवाड़े, महेश यादव एवं सुखदेव राजवाड़े ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया। यह अधिनियम की धारा 32–क (1) एवं 32–ख का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 32–क (1) निम्नानुसार है :

''**धारा 32–क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा–** प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा।''

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32–क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 32–ख निम्नानुसार है :

''**धारा 32–ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना–** अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32–क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा।'' अधिनियम की धारा 32–ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है। निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है। अतः उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत करना था।

16. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सूरजपुर के प्रतिवेदन दिनांक 24–2–2015 तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत भटगांव के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में भाग लेने वाले अभ्यर्थीगण अचंभित गुप्ता, नन्दनकुमार झा, जयराम राजवाड़े, उपेन्द्र महतो, परमेश्वरी राजवाड़े, महेश यादव एवं सुखदेव राजवाड़े ने अधिनियम की धारा 32–क (1) तथा धारा 32–ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल नहीं किया। अभ्यर्थीगण नन्दनकुमार झा, जयराम राजवाड़े, उपेन्द्र महतो, परमेश्वरी राजवाड़े, महेश यादव एवं सुखदेव राजवाड़े ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अपना निर्वाचन व्यय लेखा समयावधि में कार्यालय नगरपंचायत भटगांव में जमा करने का उल्लेख किया है। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आहूत किये जाने पर शपथपूर्वक कथन में भी अभ्यर्थीगण जयराम राजवाड़े, उपेन्द्र महतो, परमेश्वरी राजवाड़े, महेश यादव एवं सुखदेव राजवाड़े ने उल्लेख किया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी भटगांव के मौखिक निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय लेखा कार्यालय नगरपंचायत भटगांव में जमा किया था। इसकी पुष्टि में उनके द्वारा पावती भी संलग्न की गई है।

अभ्यर्थी नन्दनकुमार झा द्वारा कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब दिनांक 20 जुलाई 2015 को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया। जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 2–2–2015 को कार्यालय नगरपंचायत भटगावं में जमा कराया गया था। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में आहूत किये जाने पर निर्धारित दिनांक 4 जनवरी 2017 को सूचना उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), सूरजपुर द्वारा संशोधित प्रतिवेदन दिनांक 24–3–2015 के परिशिष्ट–36 एवं आयोग को अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब के संदर्भ में दिये गये अभिमत में यह उल्लेख किया गया है कि नगरपंचायत भटगांव के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन लड़ने वाले 7 अभ्यर्थियों में से अचंभित गुप्ता को छोड़कर शेष सभी 6 अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की निर्धारित अंतिम तारीख 3–2–2015 तक निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः उपरोक्त विवेचना से मैं इस निष्कर्श पर पहूंचा हूं कि अभ्यर्थीगण नन्दनकुमार झा, जयराम राजवाड़े, उपेन्द्र महतो, परमेश्वरी राजवाड़े, महेश यादव एवं सुखदेव राजवाड़े द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना मान्य करना न्यायोचित है। अतः अभ्यर्थीगण नन्दनकुमार झा, जयराम राजवाड़े, उपेन्द्र महतो, परमेश्वरी राजवाड़े, महेश यादव एवं सुखदेव राजवाड़े के विरूध्द प्रकरण समाप्त किया जाता है।

अभ्यर्थी अचंभित गुप्ता ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ तामील होने के उपरान्त आज पर्यन्त अपना जवाब आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी। अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी अचंभित गुप्ता प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहा है तथा वह इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखता है। तदनुसार अधिनियम की धारा 32–ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी अचंभित गुप्ता को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित

रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32–ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 4 (चार) वर्ष की कालावधि के लिये नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 32–ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए।

17. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 4 फरवरी 2017 को जारी किया गया।

हस्ता./–

(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.